तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम जो ... हुक्म की तामिल ... जारी हुए
	रंगलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मु.नं. 14/2025 धारा 136 LRACT	

05.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अभिभाषक उपस्थित। जवाब सरकार प्राप्त हुआ जिससे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रफोमा अप्रार्थीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः इनके तलवी बंद की जाती है। प्रार्थी अभिभाषक की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रर्फोमा अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सह खातेदारी सह काश्तकारी की आराजीयात है जो ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित जिसके खसरा नंबर 2119 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म चाही 3 है। वादग्रस्त आराजीयात जिसके चौसाला खसरा नंबर 1334 रकबा 2–14–00 बीघा जिसके वर्किंग खसरा नंबर 830 रकबा 2–14–00 बीघा के हाल खसरा नंबर 2119 रकबा 0.44 हैक्टयर है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण कके पिता/दादा धन्ना पुत्र भैरू के नाम दर्ज चली आ रही थी परन्तु दौराने बंदोबरत वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते समय राजस्व ऐजेन्सी द्वारा सहवन से पूर्व में दर्ज खातेदार धन्ना पुत्र भैरू के स्थान पर भैरू पुत्र धन्ना अंकित कर वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब कर दी गयी। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर हाल जमाबंदी में भी वादग्रस्त आराजी भैरू पुत्र धन्ना के नाम दर्ज चली आ रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण एवं प्रर्फोमा अप्रार्थीगण के पिता/दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाकर चौसाला जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भैरू पुत्र धन्ना के स्थान पर धन्ना पुत्र भैरू वर्तमान जमाबंदी में दर्ज कर दुरुस्ती किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट/जवाब का परिशीलन किया गया। उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 09.04.2025 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, तदनुसार ग्राम माखुपुरा पटवार हल्का माखुपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र परबतपुरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नम्बर 2119 रकबा 0.44 हेक्टेयर में खातेदार भैरू पुत्र धन्ना के स्थान पर धन्ना पुत्र भैरू का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अजमेर की जाँच रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार अजमेर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकरी

अजमेर